



राजस्थान सरकार
वित्त (पेंशन) विभाग

क्रमांक : प. 2(2)वित्त/पेंशन/2020

जयपुर, दिनांक:- 24.11.2020

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट-VI के बिन्दु संख्या 10 में राज्य सरकार के पेंशनर्स को प्रतिवर्ष नवम्बर माह में **जीवन प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण वरिष्ठ नागरिकों में कोरोना वायरस के संक्रमण की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए, भारत सरकार के मेमोरेन्डम संख्या 18/1/2020-P&PW(C)-6681 दिनांक 11.09.2020 व मेमोरेन्डम संख्या 18/1/2020-P&PW(H)- VOL-III-6786 दिनांक 23.11.2020 के अनुरूप, राज्य सरकार के पेंशनर्स को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि को विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राज्य सरकार के पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि **दिनांक 01.11.2020 से 28.02.2021 तक** बढ़ाये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त अवधि में पेंशन का भुगतान पूर्वानुसार निरन्तर किया जावेगा।

उक्त स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग से बारकोड संख्या 592000193 दिनांक 23.11.2020 पर प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गयी है।

www.rajteachers.com

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (पेंशन) विभाग,

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राज।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय।
11. समस्त कोषाधिकारी।

संयुक्त शासन सचिव

कृ. पृ. उ.




क्रमांक : प. 2(2)वित्त/पेंशन/2020

जयपुर, दिनांक:- 24.11.2020

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-


1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।


24/11/2020
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सहायक महाप्रबन्धक, बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर।
2. प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सांगानेरी गेट, जयपुर।
3. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) भारतीय स्टेट बैंक, जयपुर।
4. सहायक महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ोदा, आनन्द भवन, संसारचन्द रोड़, जयपुर।
5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, नेहरू कॉम्पलेक्स, टोंक रोड़, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय-1 ऑपरेशन एण्ड सर्विस विभाग, 3 एवं 4 डीडी ब्लॉक, सेक्टर-1, सॉल्ट लेक, कॉलकत्ता-70064।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, ऑचलिक कार्यालय, ए-38(बी), ऑरकेड इन्टरनेशनल मॉल, अजमेर रोड़, जयपुर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नन्द भवन, संसारचन्द रोड़, जयपुर।
9. सहायक महाप्रबन्धक, इलाहबाद बैंक, ए-3, सुभान टॉवर, शास्त्री नगर, जयपुर।
10. ऑचलिक प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया, सी-63, सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
11. ऑचलिक प्रबन्धक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 104, अहिंसा सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर।

www.rajteachers.com


24/11/2020
संयुक्त शासन सचिव